

**बिहार सरकार**  
**कृषि विभाग**  
**अधिसूचना**

अधिसूचना संख्या-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015.....वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-4685 वि0(2) दिनांक-25.06.2003 संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-01 (शष्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अंकित तिथि से तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक (2017/2006/1997)	पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	देय एम०ए०सी०पी० (नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों की नियमित सेवा के पुरा करने की तिथि से)		
				तृतीय एम०ए०सी०पी०	अनुमान्यता की तिथि	पे बैंड/ ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	12/14/814	श्री दयानन्द राम निराला से०नि० सं०कृ०नि० (सांख्यिकी), बिहार, पटना।	03.01.1980	तृतीय एम.ए.सी.पी.	03.01.2010	PB-3 Grade Pay 7600
2	14/17/820	श्री अरूण कुमार, से०नि० संयुक्त कृषि निदेशक, (सांख्यिकी), बिहार, पटना।	01.12.1980	तृतीय एम.ए.सी.पी.	01.12.2010	PB-3 Grade Pay 7600
3	15/20/826	श्री विनोद प्रसाद, से०नि० सं०नि० (शष्य) मु० बिहार, पटना।	19.01.1980	तृतीय एम.ए.सी.पी.	19.01.2010	PB-3 Grade Pay 7600
4	16/21/827	श्री इन्द्रदेव पासवान से०नि० सं०कृ०नि०(प्र०) बिहार, पटना।	05.12.1980	तृतीय एम.ए.सी.पी.	05.12.2010 01.04.2011 (निदन के कारण दि०-01.04.2011 से अनुमान्य।)	PB-3 Grade Pay 7600
5	51/10/805	श्री अरूण कुमार, से० नि० उप निदेशक (शष्य) योजना, बिहार, पटना।	05.06.1979	तृतीय एम.ए.सी.पी.	05.06.2009	PB-3 Grade Pay 7600

2. एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस ग्रेड वेतन में कनीय पदाधिकारी ने एम०ए०सी०पी० योजना के तहत उच्चतर ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

4. तृतीय एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

5. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।

6. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जाएगी तो फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनुरूप वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(दिनेश कुमार)

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

